हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

No. BSEH/PRD/2025

NOTIFICATION 01/2025
DATED 31.12.2025

सार्वजनिक सूचना

• एचटेट परीक्षा के आवेदन हेतु अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड–बोर्ड सचिव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाए जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के लिए आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव श्री मुनीश शर्मा, भा.प्र.से. ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इसे पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मध्यनजर एचटेट–2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अभ्यर्थी एचटेट–2025 के लिए अन्तिम तिथि 04 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल 2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में 04 व 05 जनवरी, 2026 को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी समय रहते आवेदन करना सुनिश्चित करें तथा नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.bseh.org.in** का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण व अति–आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रह जाएं।

सहायक सचिव(जन सम्पर्क)
कृते: सचिव